225 8 उन केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) में मितव्ययता के उपाय जो वेतन और भत्तों के लिए बजटीय सहायता पर आश्रित हैं– कर्मचारियों के हवाई यात्रा के पात्रता के संबंध में।

व्यय विभाग ने समय–समय पर सरकारी विभागों और केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों द्वारा पालनार्थ व्यय में मितव्ययता बरतने संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए हैं। व्यय विभाग द्वारा ''बजट/व्यय प्रबंधन, मितव्ययता के उपाय, व्यय के यौक्तिकरण और राजस्व बढ़ाने के उपाय'' पर दिनांक 21.11.2005 को जारी कार्यालय ज्ञापन में बताया गया एक उपाय का संबंध कार्मिकों द्वारा हवाई यात्रा से है। सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए मितव्ययता के दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों की स्वायत्ता की आवश्यकता और विभिन्न केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि:–

> वेतन और भत्तों के लिए बजटीय सहायता पर आश्रित केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम अपने कर्मचारियों की यात्रा पात्रता की समीक्षा करें और इन्हें भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं लागू आर्थिक उपायों के अनुरूप बनाएं। ऐसी एकल केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के निदेशक मंडल को इन दिशा–निर्देशों पर विचार करना चाहिए और तदनुसार, इन कंपनियों में कार्यकारी अधिकारियों की यात्रा की पात्रता का अंतिम निर्णय लेना चाहिए।

2. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों द्वारा कड़ाई से अनुपालन के लिए दिशा–निर्देश जारी करे।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 2(16)/95–डीपीई(डब्ल्यूसी)–जीएल–IX/06, दिनांक **5 सितम्बर, 2006)**

*****